उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0–5–1072/11–2010–500(100)/2008
लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–5–3066/11–5–2009–500(100)/2008 दिनांक 12 जून, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जाएंगे;-

"परन्तु उन आवंटियों, जिनके लिए छः माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है या दिनांक 31 मार्च, 2010 के पूर्व समाप्त होने वाली हो, के सम्बंध में स्टाम्प शुल्क से छूट की समय–सीमा दिनांक 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाई जाती है:

परन्तु यह और कि जहां विक्रय/लीज का अनुबंध आवंटन पत्र के निर्गत होने के दिनांक से छः माह के अन्दर निष्पादित करा लिया गया है, उनको स्टाम्प शुल्क से छूट तभी अनुमन्य होगी जब आवंटी कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्गत पत्र की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा वास्तविक कब्जा पाने की तिथि तक, जो भी पहले हो, विक्रय/लीज का विलेख निष्पादित करा लेता है:

परन्तु यह भी कि यदि किसी आवंटी ने इस अधिसूचना के अनुसरण में विक्रय या पट्टे के अनुबंध को निष्पादित करा दिया है, तो उस पर द्वितीय प्रतिबंध के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–क0नि0–5–1072(1)/11–2010–500(100)/2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे दिनांक 10 मार्च, 2010 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड–(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें,, तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियॉ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियॉ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–क0नि0–5–1072(2)/11–2010–500(100)/2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औधोगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, औधोगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
(8) महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करें कि सम्बन्धित जनपद के उप निबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(9) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
(10) निदेशक, सूडा नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औधोगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
(12) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
(13) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(14) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशलय, लखनऊ।
(16) अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु , 12 सी माल एवेन्यु , लखनऊ।
(17) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(18) विधायी, अनुभग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG -5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.S.V.K.N.-5-1072 /XI-2010-500(100)-2008 dated March 10, 2010 for general information:-

NOTIFICATION

No.S.V.K.N.-5-1072 /XI-2010-500(100)-2008
Lucknow, Dated March 10 , 2010

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section(1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1987), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no.-3066/XI-5-2009-500(100)-2008 dated Lucknow June 12, 2009:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, the following provisos shall be inserted at the end;-

"Provided that, in case of those allottees for whom the six months period has expired or to be expired before March 31, 2010, the time limit for the exemption from the stamp duty is extended up to March 31, 2010:

Provided further that, where the agreement to sell / lease has been executed within six months from the date of issuance of allotment letter, the remission in stamp duty shall be available only when the allottee gets the sale / lease deed executed within three months from the date of the issuance of the possession letter or upto the date of getting actual possession, whichever is earlier:

Provided also that the provision of second proviso shall not be applicable in cases where an allottee has got the agreement to sell / lease already executed in pursuance of this notification"

By order

Virendra Pratap Singh
Vishesh Sachiv.